9

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

दिनाङ्कः 25 मार्च, 2023

पत्रांक- सा॰2524/2023

कार्यालय-ज्ञाप

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय में आवास-आवंटन समिति के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के समस्त कर्मियों (अध्यापक/अधिकारी/कर्मचारी) को सूचित किया जाता है कि जो कार्मिक विश्वविद्यालय में आवास आवंटित कराने के इच्छुक हों अथवा जो कार्मिक पूर्व से विश्वविद्यालय के आवास में आवासित हों तथा किन्हीं कारणवश आवास परिवर्तन कराने के इच्छुक हों, वे अपना आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारुप में शपथ-पत्र सहित पूरित कर दिनांक 30 मार्च, 2023 तक सामान्य, प्रशासन कार्यालय में अवश्य प्रस्तुत कर दें। ऐसे कार्मिक जो पूर्व निर्धारित प्रारुप पर आवेदन नहीं किये हैं, उनसे भी अपेक्षा है कि वे भी निर्धारित प्रारुप में 10 रुपये के स्टाम्प पत्र में शपथ-पत्र समक्ष कुलसचिव के नाम आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. पुस्तकालयाध्यक्ष।
4. निदेशक, प्रकाशन/अनुसंधान संस्थान।
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
8. प्रभारी सम्पत्ति कार्यालय को इस आशय से प्रेषित कि 27 मार्च, 2023 तक रिक्त आवासों की सूची उपलब्ध करा दें।
9. प्रोग्रमार को इस आशय से कि संलग्न प्रारुप को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. समस्त विभागानुभाग।
11. सम्बद्ध पत्रावली।

25-3-23
कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

आवास आवंटन एवं स्थानान्तरण हेतु आवेदन

1. कार्मिक का नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. जन्मतिथि –
4. पद नाम –
5. विभाग/अनुभाग –
6. नियुक्ति तिथि –
7. गृह जनपद का नाम –

8- वाराणसी नगर में अपने, अपनी पत्नी या अपने पति या नाबालिग बच्चों के नाम निजी भवन हैं अथवा नहीं। (आवास आवंटन नियमावली के बिन्दु–6 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में शपथ–पत्र संलग्न करें)

9. वाराणसी नगर में अपने, अपनी पत्नी या अपने पति के नाम से सरकारी आवास प्राप्त है अथवा नहीं।

10. क्या विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित आवास में पूर्व से आवासित हैं अथवा नहीं।

शपथ–पत्र

1. वाराणसी नगर में अपने, अपनी पत्नी या अपने पति या नाबालिग बच्चों के नाम निजी भवन नहीं है।
2. वाराणसी नगर में अपने, अपनी पत्नी या अपने पति के नाम से सरकारी आवास आवंटित नहीं है।
3. आवास आवंटित होने पर नियमानुसार मेरे आवास का किराया/जलकर एवं विद्युत व्यय की कटौती मेरे वेतन से प्रतिमाह कर ली जाय।
4. आवंटित आवास में किसी अन्य को सबलेट नहीं करूँगा/करूँगी।
5. सेवानिवृत्त होने अथवा विश्वविद्यालय सेवा से पृथक् होने के पश्चात् नियमानुसार देयक का भुगतान करते हुए आवास रिक्त कर दूँगा।
6. आवास आवंटन सम्बन्धी नियमावली तथा समय–समय पर होने वाले संशोधन नियमों का अक्षरशः पालन करूँगा।

भवदीय,

हस्ताक्षर

आवेदक का स्पष्ट नाम

पदनाम

विभाग/अनुभाग